राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

खालिद अरशद, *बि०प्र०से०*
प्रशासी पदाधिकारी
–सह–
प्रभारी मानव संसाधन

सं०सं०: **SHSB/GA/HR/2264/2017**

आदेश संख्या...............................

–: आदेश :–

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन सं० S-101 के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK-DEIC) के अधीन **Medical Officer** के संविदागत पद पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ–9 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित अस्पताल में पदस्थापित किया जाता है:–

क्र. सं.	पंजीयन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पता	कोटि	गृह जिला	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय प्रतिमाह (₹में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	1010146	Navin Kumar Pappu	15.12.1981	Saketpuri South Bazar Samiti, PS-Bahadurpur, Patna-16	UR	Patna	**NMCH, Patna**	35,000/-
2.	1012659	Fakhar Alam	12.12.1982	Opp Convent School, Bata Lane, Sabjibagh, PS-Pirbahor, Patna-04	UR	Patna	**Sadar Hospital, Muzaffarpur**	35,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:–

i. दिनांक 24 मार्च, 2017 तक अपने नाम के सामने स्तंभ–8 में अंकित अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

ii. योगदान के पश्चात् सभी नवचयनित अभ्यर्थी एकरारनामा करने के लिए, स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 27 मार्च, 2017 तक प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

iii. यदि किसी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा सरकारी सेवा में हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उनका नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

iv. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।

v. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vi. पदस्थापन अस्पताल में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

vii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

viii. उक्त पद का नियोजन इस शर्त्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Medical Officer के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 9 में अंकित एकमुस्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code-A.8.1.7.4.4.b के तहत जिला स्तर से किया जाएगा।

3. सभी संबंधित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद अस्पताल में संचालित District Early Intervention Centre (DEIC) में इनके कार्यो का नियमित अनुश्रवण करेंगे। उक्त अनुपालन की सूचना अचूक रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त पर सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, रा०स्वा०समिति, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(खालिद अरशद)

ज्ञापांक** : SHSB/GA/HR/2264/2017/*7866 *पटना,* ***दिनांक: 08 */03/2017*

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक/अपर कार्यपालक निदेशक, रा०स्वा०समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर निदेशक–वित्त/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी–RBSK, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट ***www.statehealthsocietybihar.org*** पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

8/3/17

प्रशासी पदाधिकारी
–सह–
प्रभारी मानव संसाधन

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org